न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 132/20—21

(छोटानागपुर काष्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

मनमोहन हजाम — विक्रेता

नुतन कुमारी — क्रेता

की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
.10.20	**आदेश**

आवेदक मनमोहन हजाम पिता स्व0 परशुराम हजाम ग्राम—बिचना, पो0—बिचना, थाना—मुरहू, जिला—खूँटी ने नुतन कुमारी पिता मनमोहन हजाम ग्राम—बिचना, पो0—बिचना, थाना—मुरहू, जिला—खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	44	636	0.10

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 987886 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 669 दिनांक 13.10.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम भरथ हजाम वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार जगमोहन वगैराह के नाम भूमि का रकबा 22.57 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.82 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013—14 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 14964.00(चौदह हजार नौ सौ चौसठ) रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.72 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (पिछड़ी जाति—1 समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मनमोहन हजाम पिता स्व0 परशुराम हजाम को नुतन कुमारी पिता मनमोहन हजाम के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 44 खेसरा संख्या 636 कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 14964.00(चौदह हजार नौ सौ चौसठ) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

21/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

21/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।